न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 278/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/448

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत 12 एनआरडी पंचायत समिति रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. राजपैरोकार उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रार्थी
2. एकपक्षीय

—:: निर्णय ::—

दिनांक :25.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर (प्रकरण सं. 12/2022) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर सम्वत 2033 में दर्ज आदेश श्रीमान् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर दिनांक 03.03.1981 कानून विरूद्ध है, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर ने चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर के गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नं. 35/80 रकबा 5 बीघा व 35/81 रकबा 8 बीघा कुल 13 बीघा जिनके नये प.नं. 123/309 मु.नं. 36 बने है में से कि. नं. 24 व 25 को 2 बीघा गै.मु. हडडरोहड़ी व कि.नं. 16 व 17 को 2 बीघा गै.मु. शमशान के रूप में जोहड़ व पायतन के खाते से हटाकर अवैध रूप से दर्ज कर दिये गये है। उक्त रकबा जोहड व पायतन होने के कारण मा. राज. उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में आवंटन/आरक्षण योग्य नहीं था। इसलिए चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर सम्वत् 2033 में दर्ज आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर दिनांक 03.03.1981 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
2. दिनांक 15.09.2017 को पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया। मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10.2020 के द्वारा खसरा नं. 35/80 व 35/81 के नये प.न. 123/309 मु.नं. 36 बने हो इसका कोई मिलान क्षेत्रफल पत्रावली पर मौजूद नहीं होने के कारण पत्रावली संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों बाबत पूर्ण जांक कर यदि प्रकरण रेफरेंस योग्य बनता हो तो विधि अनुसार पुनः रेफरेंस अभिशंषित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।
3. हस्तगत प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर उभयपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से दिनांक 07.05.2024 को सरपंच तथा ग्रा.वि.अधि. ग्राम पंचायत उपस्थित आए। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तिथि के पश्चात निरंतर अनुपस्थित रहने तथा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया और अप्रार्थी ग्राम पंचायत के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रार्थी की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 03.03.1981 के द्वारा जोहड़ पायतन की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से गैर मु. हडडा रोहड़ एवं शमशान दर्ज किया गया है जो कि निरस्त योग्य हैं। जोहड़ पायतन की भूमि अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित/आरक्षित नहीं की जा सकती हैं। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी

रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर का आदेश दिनांक 03.03.1981 निरस्त करने हेतु मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी (भू प्रबन्ध विभाग) आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार खसरा सं. 35/80 व 35/81 के मु.नं. 36 बनना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। जोहड़ पायतन की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन/आरक्षित नहीं की जा सकती थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को पारित निर्णय के आलोक में भूमि का आवंटन खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी रायसिहनगर(पूर्व) मुख्यालय बीकानेर के आदेश दिनांक 03.03.1981 द्वारा जोहड़ पायतन की भूमि को गै.मु. हडडारोहड़ एवं शमशान में रूप में आवंटन/आरक्षित करने का आदेश खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़